

Press Release

Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has notified the draft regulations pertaining to packaging material used for packing of food articles. These regulations are aimed at establishing requirements for packaging materials so as to ensure that they are safe for use in food packaging and do not cause any health hazard to the consumer or lead to change in sensory property or composition of foods.

Packaging is essential and critical for promoting food safety, extended shelf life and thereby enhancing food security. The primary objectives of packaging are to protect the contents from microbiological, chemical, physical and atmospheric contamination and preserve the food and thereby protect consumer's health. To address these concerns FSSAI has come up with the separate regulation on Packaging in supersession of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

These regulations prescribes general and specific requirement with respect to packaging material. These regulations also prescribes various schedules containing a list of packaging material and their respective Indian standards and according to these regulations any packaging materials used for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in Schedules of these regulations.

While considering the carcinogenic effect of inks and dyes, these regulations prohibits the use of news paper and such other materials for packing or wrapping of food articles. These regulations also specify the requirement for specific migration limit of contaminants from plastic materials intended to be in contact with articles of food. A list of suggestive packaging materials which may be used for packaging of food products is also provided in these regulations.

FSSAI has invited suggestions and objections from stakeholders within 30 days from the publication of the draft regulations. These regulations, after consideration of stakeholder comments and finalization, will come into force on the date of their final publication in the Gazette on India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2018/फाल्गुन 30, 1939

No. 111]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

फा. सं.1-95/मानक/पैकेजिंग/ एसपी(एल एवं सी/ए)/एफएसएसएआई-2017.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लैबलिंग) विनियम, 2011 का अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि उक्त प्रारूप विनियम पर यह अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ़डीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 या ईमेल – regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे;

आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुये हो पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- a) **“अधिनियम”** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;
- b) **“खाद्य श्रेणी”** का अर्थ उस सामग्री से है जो कि उसके उपयोग के अनुसार सुरक्षित एवं उपयुक्त है जिससे मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो और जो भोजन की संरचना एवं ओर्गेनोलेप्टिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं करती हो।
- c) **“बहुपरतीय खाद्य पैकेजिंग”** का अर्थ उस खाद्य पैकिंग सामग्री या वस्तु से है जो कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमत पैकिंग सामग्रियों की परतों से मिलकर बना होता है।
- d) **“संपूर्ण अभिगामी सीमा”** का अर्थ सामग्री या वस्तु द्वारा खाद्य उत्तेजकों में छोड़ी जाने वाली गैर-वाष्पशील पदार्थों की अधिकतम अनुमत राशि से है।
- e) **“पैकेज या कन्टेनर”** का अर्थ पहले से पैक किया हुआ डिब्बा, बोतल, कास्केट, टिन, बैरल, केस, पाऊच, बक्सा, बोरा, बैग, रैपर, या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं से है जिनमें खाद्य पैक किया जाता है।
- f) **“पैकेजिंग सामग्री”** से खाद्य कंटेनरों के निर्माण के लिए या खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डबोर्ड, पेपर, कांच, धातु, प्लास्टिक की फिल्म, बहु-परत पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मीडिया (तरल या गैस) आदि जैसे सामग्रियां अभिप्रेत है।
- g) **“प्राथमिक खाद्य पैकेजिंग”** का अर्थ उस पैकिंग सामग्री से है जो कि खाद्य उत्पाद के सीधे सम्पर्क में आती है।
- h) **“सहायक खाद्य पैकेजिंग”** का अर्थ उस पैकिंग सामग्री से है जो कि प्राथमिक खाद्य पैकेजिंग को बाहर से ढकती है और यह खाद्य के सीधे सम्पर्क में नहीं आती है।
- i) **“विशेष अभिगामी सीमा”** का अर्थ सामग्री या वस्तु के द्वारा भोजन या भोजन उत्तेजकों में छोड़ी जाने वाले पदार्थ की अधिकतम अनुमत राशि से है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम, उसके अधीन बने नियमों या विनियमों, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, क्रमशः जो उस अधिनियम, नियम या विनियम में उनके हैं;

3. सामान्य आवश्यकताएं-

- (1) हर खाद्य कारबार प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री इन विनियमों के अनुसार होगी।
- (2) कोई भी सामग्री जिसका उपयोग खाद्य को पैक करने, तैयार करने, भण्डारण में, पैकिंग, परिवहन या बिक्री या सेवा में किया जाता है वह सामग्री खाद्य श्रेणी गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- (3) पैकेजिंग सामग्री उत्पाद के प्रकार, भंडारण के लिए प्रदान की गई शर्तों और खाद्य को भरने, सीलिंग और पैकेजिंग के साथ-साथ परिवहन शर्तों के लिए उपयुक्त होगी।
- (4) सामान्य परिवहन के दौरान पैकेजिंग सामग्री यांत्रिक, रासायनिक या थर्मल तनाव का सामना करने में सक्षम हो। लचीला या अर्द्ध-कठोर कंटेनर के मामले में, एक ओवररैप पैकेजिंग आवश्यक हो सकता है।

- (5) खाद्य उत्पादों को साफ, स्वच्छ और टेम्परूफ बोतलों / कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए।
- (6) सीलिंग सामग्री उत्पाद और कंटेनरों के साथ-साथ कंटेनरों के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लोजर सिस्टम के साथ संगत होनी चाहिए।
- (7) एक बार उपयोग किये हुए टिन कंटेनर, खाद्य की पैकेजिंग के लिए फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए परन्तु जहां पुनः उपयोग करने योग्य पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, वह उपयुक्त रूप से टिकाऊ हो, एवं उसे स्वच्छ या निस्संक्रामक आसानी से किया जा सके।
- (8) खाद्य पैकेटों पर उपयोग में ली जाने वाली स्याही आईएस: 15495 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
- (9) पैकेजिंग सामग्री की मुद्रित सतह, खाद्य उत्पादों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आनी चाहिए।
- (10) अखबार या किसी भी ऐसी सामग्री का भंडारण और खाद्य को लपेटन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- (11) यदि बहुपरतीय पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो जो सतह खाद्य के सीधे सम्पर्क में आ रही है उसको इस विनियम की अनुसूची I, II, और III में वर्णित आवश्यक मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए।
- (12) इन विनियमों के अनुसूची I, II और III में सूचीबद्ध सामग्रियों को पैकेजिंग सामग्री के रूप में उनके इच्छित उपयोग के साथ संगत किया जाना चाहिये ताकि खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो।
- (13) हर खाद्य कारोबार प्रचालक एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा पैकेजिंग सामग्री के लिए इन विनियमों के अनुरूप जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

4. विशेष आवश्यकताएं-

4.1. कागज एवं बोर्ड सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में आती हैं

- (1) कागज एवं बोर्ड सामग्री बनावट एवं मोटाई में एक समान होनी चाहिए।
- (2) यह दाग धब्बों, तेल एवं चिकनाई के निशान, कटे-फटे, छोटे-छोटे छेदों और अन्य दोषों से मुक्त होने चाहिए।
- (3) जिस कागज का उपयोग डिब्बे, बड़े डिब्बे, प्लेट, कप, कागज के ढक्कन को बनाने में उपयोग होता है या जो कागज खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आता है वह खाद्य श्रेणी का होना चाहिए एवं डाइऑक्सिन से मुक्त होना चाहिए।
- (4) जिन कागजों एवं बोर्ड सामग्रियों का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, उन्हें अनुसूची I में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

4.2. कांच के कन्टेनर जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं

- (1) ये फफोले, ढालने के निशान, पत्थर और चिपिंग से मुक्त होने चाहिए और जहां तक संभव हो, बुलबुले, डोरियों, बीज और अन्य दिखाई देने वाले दोषों से भी मुक्त होने चाहिए।
- (2) इनकी सतह बिना दरारों, छेदों, नुकीली धारों से रहित चिकनी होनी चाहिए।
- (3) इनके सील करने की सतह दरारों एवं प्रमुख सीवन जोड़ के निशानों से मुक्त होनी चाहिए।

4.3. धातु एवं मिश्र धातु जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं

- (1) बर्तन या कन्टेनर जो कि निम्न धातुओं या सामग्रियों से बने हों एवं जिन खाद्यों का उत्पादन या भण्डारण इन बर्तनों में किया जाता है वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है:-

(क) जंग लगे हुए बर्तन;

(ख) इनेमलयुक्त बर्तन जो कि टूटे हुए और जंग लगे हुए हों।

(ग) तांबे या पीतल के बर्तन जिन पर टिन की परत न चढ़ी हो।

- (2) जिन धातुओं एवं मिश्र धातुओं का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, को अनुसूची - II में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

4.4. प्लास्टिक सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में आती हैं

- (1) जिन प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, को अनुसूची-III में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

बशर्ते कि पेज जल (पैकेज्ड एवं खनिज जल दोनों) रंगहीन, पारदर्शी, एवं टेम्पूफू बोतलों या कन्टेनरों में पैक किये गये हों पोलिथीलेन (पीई) जो कि आईएस:10146 या पोलिविनाईल क्लोराईड (पीवीसी) जो कि आईएस: 10151 या पोलिएल्केलाईन टैरेपेथलेट (पीईटी और पीबीटी) जो कि आईएस: 12252 या पोलिप्रोपलेन (पीपी) जो कि आईएस: 10910 मानकों को पूरा करते हों या खाद्य श्रेणी की पोलि कार्बोनेट या जीवाणु रहित कांच की बोतलों का उपयोग पेयजल को पैक करने के लिए किया जाना चाहिए। कन्टेनर की पारदर्शिता प्रकाश ट्रांसमिशन में 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारतीय मानक आईएस: 9833 में निर्दिष्ट ब्लू टिंट को पांच लीटर और उससे ऊपर के प्लास्टिक के कन्टेनर में अनुमति दी जा सकती है जो पॉली कार्बोनेट और पॉलीथीन टैरेफाथलेट (पीईटी) से बना है जो कि खनिज पानी और पैकित पेयजल के पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कन्टेनर की पारदर्शिता प्रकाश ट्रांसमीटर से 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

- (2) प्लास्टिक से बनी सभी पैकेजिंग सामग्रियों में आईएस 9845 के अनुसार निर्धारित अभिगमन सीमा 60 मिग्रा/किग्रा या 10 मिग्रा/ डीएम² पर खरा उतरना चाहिए एवं दृश्यरंग का पालन पलायन न हो।
- (3) प्लास्टिक सामग्रियों एवं वस्तुएं, तालिका 1 के तहत दी गई विशेष अभिगमन सीमा से अधिक मात्रा में निम्नलिखित पदार्थ नहीं छोड़ेगीं।
- (4) खाद्य या पेयजल के सीधे सम्पर्क में आने वाली प्लास्टिक में उपयोग किया गया रंगद्रव्य या रंगीन पदार्थ को आईएस: 9833 मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

(5) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बनने वाले बैग या फिर से किए गए प्लास्टिक के बने उत्पादों को पैकेजिंग, भंडारण, भोजन या खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

सारणी 1: प्लास्टिक सामग्री जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं के लिए विशेष अभिगामी सीमा की आवश्यकताएं।

क्र.सं	संदूषक	अधिकतम अभिगामी सीमा (मिग्रा/किग्रा)
1.	बेरियम	1.0
2.	कोबाल्ट	0.05
3.	तांबा	5.0
4.	लोहा	48.0
5.	लिथियम	0.6
6.	मैंगनीज	0.6
7.	जस्ता	25.0

5. सांकेतिक पैकेजिंग सामग्री की एक सूची जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में किया जा सकता है को अनुसूची-IV में दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

पेपर एवं बोर्ड जो कि पैकेजिंग के दौरान खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं।

क्र.सं	मानकों की सूची
1.	चिकनाईरोधी कागज – आईएस 6622
2.	वनस्पति चर्मपत्र या चिकनाईरोधी कागज / एल्युमिनियम फोईल लेमिनेट – आईएस 7161
3.	पैकिंग के लिए एल्युमिनियम फोईल लेमिनेट- आईएस 8970
4.	सामान्य उपयोग के लिए पैकिंग/रैपिंग कागज – आईएस 6615
5.	फोल्डिंग बॉक्स, अनकोटेड – आईएस 1776
6.	नालीदार फाइबर बोर्ड बक्से - विशिष्टता (भाग 1) - IS 2771

नोट: कागज या बोर्ड पर मोम की परत चढाने के लिए पैराफिन मोम जो कि आईएस 4654 के प्रकार । पर खरा उतरता हो का उपयोग किया जाना चाहिए।

अनुसूची-II

धातु और मिश्र धातु जो कि पैकेजिंग के दौरान खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं।

क्र.सं	मानकों की सूची
1.	कोल्ड रिड्युस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट- आईएस 1993
2.	सामान्य अभियान्त्रिकी के लिए गढ़ा हुआ एल्युमिनियम और मिश्रित एल्युमिनियम धातु की शीट और पट्टी - आईएस 737
3.	खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रित फ़ोइल – आईएस 15392
4.	वर्तन बनाने के लिए गढ़ा हुआ एल्युमिनियम और मिश्रित एल्युमिनियम- आईएस 21
5.	खाद्य और पेय पदार्थों के लिए ऊपर से खुले हुए सेनेटरी कैन – आईएस 9396 – भाग- 1

अनुसूची-III

प्लास्टिक सामग्री जो कि पैकेजिंग के दौरान खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं।

क्र.सं	मानकों की सूची
1.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीथीन के लिए विनिर्देश - आईएस 10146
2.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीस्टेन के लिए विनिर्देश - आईएस - 10142
3.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पोलिविनाईल क्लोराईड (पीवीसी) और उसके सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10151
4.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पोलिप्रोपीलेन और उसके सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10910
5.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली लोनोमर रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 11434
6.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली ऐथिलेन एक्रिलिक एसिड (ईएए) सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 11704
7.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पोलिएल्केलेन टैरीफेथलेट्स (पीईटी एवं पीबीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 12252
8.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली नायलोन 6 पोलिमर के लिए विनिर्देश - आईएस 12247
9.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली इथाइलीन विनाईल एसीटेट (ईवीए) सहपोलीमिर्स के लिए विनिर्देश - आईएस 13601
10.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली एथिलीन मेथा ऐक्रेलिक एसिड (ईएमएए) के लिए विनिर्देश - आईएस 13576
11.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पोलिकाबोनेट रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14971
12.	खाद्य तेल, घी और वनस्पति के पैकेजिंग के लिए लचीले पैकेजिंग सामग्री के लिए विनिर्देश 14636
13.	ढलाई और बाहर निकालने के लिए पॉलिएक्लीन टैरीफेथलेट्स (पीईटी और पीबीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 13193
14.	पॉलीएथिलीन फिल्म एवं शीटों के लिए विनिर्देश -आईएस 2508
15.	रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई) फिल्मस के लिए विनिर्देश- आईएस- 14500
16.	उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन सामग्री का ढलाई और बाहर निकालने के लिए विनिर्देश- आईएस 7328
17.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली मेलामाईन- फार्मलाडिहाइड रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14999

अनुसूची - IV

सांकेतिक पैकेजिंग सामग्रियों की सूची

क्र.सं	उत्पाद श्रेणी	पैकेजिंग सामग्री का प्रकार
1.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें। प्लास्टिक (पीपी) के ढक्कन के साथ पीईटी से बने हुए कठोर प्लास्टिक कन्टेनर

		<ul style="list-style-type: none"> • प्लास्टिक (पीपी) के ढक्कन के साथ उच्च घनत्व पोलीएथिलिन (एचडीपीई)/पोलीप्रोपलेन (पीपी) से बने हुए कन्टेनर • पॉलीएथिलिन (पीई) आधारित सह-एक्सट्रूडेड बहुपरतीय सामग्री से बने लचीले प्लास्टिक थैली • शुद्ध और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम पन्नी / पॉलीथिलिन) आधारित बहुपरतीय संरचना। • टिन के डिब्बे। • एल्यूमिनियम फॉयल आधारित परतदार संरचना से बने कागज के डिब्बे • प्लास्टिक से बने पीपी कप जिनमें ढक्कन को हटाया जा सकता हो। • मक्खन को रैप करने वाले मोम की परत वाले कागज • कागज और कागज बोर्ड आधारित तह कार्टन जिसके अन्दर बटर पेपर में लिपटा हुआ मक्खन हो। • प्लास्टिक (पीपी) ढक्कन/धातु या प्लास्टिक के ढक्कन के साथ धातु के कंटेनर। • प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ प्लास्टिक के पीईटी कन्टेनर • थर्मोफॉम के कप/ट्रे जिनके ढक्कन हटाये जा सकते हों। • कागज एवं कागज बोर्ड के डिब्बे जिनके अन्दर प्लास्टिक की फिल्म हो या नहीं हो- • कागज एवं कागज बोर्ड के डिब्बे जिनके अन्दर चिकनाईरोधी पेपर लगाया गया हो या नहीं लगाया गया हो। • प्लास्टिक आधारित बहु परतीय लचीली परत थैलियां जिन्हें गर्म करके बन्द किया जाता है। • मिट्टी के बर्तन
2.	वसा, तैल एवं वसा पायसन	<ul style="list-style-type: none"> • टिन के डिब्बे • धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें। • एचडीपीई से बने कठोर प्लास्टिक के कन्टेनर (जार)। • प्लास्टिक के ढक्कन के साथ पीईटी से बने हुई बोतल एवं जार। • प्लास्टिक की थैलियां जो कि बहु परतीय लैमिनेशन संरचना से बनाई गई हों। • शुद्ध और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम फॉयल/ पॉलीएथिलिन) आधारित बहुपरतीय संरचना। • द्वि-तरफ़ी बोर्ड बॉक्स में प्लास्टिक लेमिनेटेड थैला (थैले में डिब्बा)। • प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ थर्मोफॉर्मड आधारित प्लास्टिक जार। • एल्यूमिनियम फॉयल आधारित परतदार संरचना से बने डिब्बे • कागज आधारित रेखांकित डिब्बे जिन पर एल्यूमिनियम फायल आधारित लैमिनेशन की संरचना की गई हो।
3.	फल एवं सब्जी उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> • धातु/प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें।

		<ul style="list-style-type: none"> • एल्यूमिनियम के केन जिन्हें आसानी से खोला जा सकता हो। • टिन के बने हुए कन्टेनर। • शुद्ध और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम फॉयल/ पॉलीएथिलीन) आधारित बहुपरतीय संरचना। • प्लास्टिक पीपी कपों के साथ कठोर प्लास्टिक के (जार) जिन्हें या तो एचडीपीई या साथ में बाहर निकाली हुई संरचना से बनया गया हो। • प्लास्टिक टोंटी के साथ प्लास्टिक आधारित संरचना से बने हुए खड़ी थैलियां। • लचीली प्लास्टिक थैलियां जिन्हें या तो पीई या लेमिनेटेड संरचना से बनाया गया हो। • एल्यूमीनियम पन्नी/पीई आधारित ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्मेट प्लास्टिक कंटेनर (बुलबुले वाला पैक)। • धातु के ढक्कनों के साथ प्लास्टिक जार (को-एक्सट्रूडेड) • ओवररैप के साथ प्लास्टिक ट्रे।
4.	मिठाईयां एवं कन्फैक्शनरी	<ul style="list-style-type: none"> • धातु/प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ धातु के डिब्बे। • प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिनेटेड गर्म करके बन्द की गई थैलियां। • प्लास्टिक / धातु के ढक्कन के साथ कागज बोर्ड / एल्यूमीनियम पन्नी / प्लास्टिक आधारित फिल्मों से बने मिश्रित डिब्बे। • प्लास्टिक आधारित कठोर डिब्बे। • फॉईल रैप। • प्लास्टिक फिल्म आधारित दोहरा रैप (पीपी/पीवीसी/ पीईटी) • ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्म ट्रे • धातु/प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ कांच की बोतलें। • फिल्म के ढक्कनों के साथ प्लास्टिक के कप
5.	अनाज एवं अनाज उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> • टिन के डिब्बे • धातु के डिब्बों में एल्यूमिनियम फॉयल आधारित थैलियां। • मोम की परत वाले कागज से बने रैपर। • तीन परतीय लैमिनेशन संरचना से बने रैपर। • बहुपरतीय प्लास्टिक आधारित लैमिनेटेड थैलियां (गर्म करने सीलबंद किया हुआ)। • प्लास्टिक के ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्म के कन्टेनर। • बहु परतीय लेमिनेटेड संरचना से बने हुए परत वाले डिब्बे। • प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिनेटेड संरचना वाले जिपर पाउच। • प्लास्टिक के ढक्कन/ओवर रैप के साथ थर्मोफॉम की ट्रे। • धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें।
6.	मांस एवं मांस उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> • प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कांच के जार। • धातु के ढक्कन के साथ धातु कंटेनर (रोगन टिन कंटेनर)। • कागज और कागज बोर्ड के डिब्बे में प्लास्टिक आधारित लचीली थैलियां।

		<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लचीली लेमिनेट्स गर्म करके सीलबंद की हुई थैलियां। ओवर रैप के साथ प्लास्टिक ट्रे। एल्यूमिनियम फॉयल रैप।
7.	मछली एवं मछली उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कांच के जार। धातु के ढक्कन के साथ धातु के डिब्बे (रोगन टिन के डिब्बे)। प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ पेट डलिया/डिब्बे। प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लचीली लेमिनेट थैलियां जिन्हें गर्म करके सीलबन्द किया जाता है। ओवर रैप के साथ प्लास्टिक ट्रे।
8.	मिठास कारक शहद सहित	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक आधारित थर्मोफॉर्मड कन्टेनर प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कांच की बोतल। फॉयल/पोलीथिलेन के ढक्कन के साथ बुल बुलेदार पैक। प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ पोलीथिलेन ट्रेफेथलेट (पीईटी) डिब्बे। प्लास्टिक की लेमिनेटेड नलिका।
9.	नमक, मसाले एवं अन्य संबंधित उत्पाद।	<ul style="list-style-type: none"> धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतल। प्लास्टिक के ढक्कन (पीपी के ढक्कन) के साथ कांच की बोतल। प्लास्टिक के ढक्कन के साथ प्लास्टिक आधारित कठोर डिब्बे (पीईटी पेट एवं एचडीपीई डिब्बे) कागज एवं कागज के बोर्ड/ एल्यूमीनियम फॉयल/ प्लास्टिक फिल्म आधारित मिश्रित डिब्बे। तह किये जा सकने वाले डिब्बे जिनके अन्दर प्लास्टिक आधारित लचीले लेमिनेटेड थैली रखी जाती हैं। (जिन्हे गर्म करके सीलबन्द किया जाता है) प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिनेटेड थैलियां(जिन्हे गर्म करके सीलबन्द किया जाता है)
10.	पेय पदार्थ (डेयरी एवं फल एवं सब्जी आधारित पेयों को छोड़कर)।	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक (पीपी) ढक्कनों के साथ प्लास्टिक की बोतलें जो या तो पेट से बनी हों या पॉलीकार्बोनेट (पीसी) से बनी हुई हों। पोलीथिलीन (पीई) से बनी प्लास्टिक की थैलियां जो कि गर्म करके सीलबन्द की गई हों। प्लास्टिक/धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतल। पोलीथिलीन (पीई) से बनी प्लास्टिक की थैलियां जो कि नालीदार फाईबर के डिब्बों में रखी जाती हैं। ऊपर से आसानी से खुलने वाली टिन की केन। टिन के डिब्बे। लैमिनेटेड संरचना से बनी प्लास्टिक की थैलियां। शुद्ध और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम पन्नी / पॉलीथीन) आधारित बहुपरतीय संरचना। गर्म करके सीलबन्द की हुई प्लास्टिक आधारित बहु परतीय संरचना थैलियां।

		<ul style="list-style-type: none"> • प्लास्टिक आधारित बहु स्तरीय संरचना वाली जिपर पाऊच थैलियां/ खडी थैलियां जिन्हें गर्म करके सीलबन्द किया जाता है। • धातु/प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ धातु के डिब्बे • प्लास्टिक के ढक्कनों (पीपी ढक्कन) के साथ कठोर प्लास्टिक के डिब्बे। • शराब के लिए लकड़ी का पीपा
--	--	--

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./482/17]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018

F. No. 1-95/Std/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017.—The following draft of certain regulation which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make in supersession of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, with previous approval of Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub section (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. Short Title and Commencement.- (1) These regulations shall be called the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of publication in Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations unless the context otherwise requires:-

- a) **“act”** means the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act 34 of 2006).
- b) **“food grade”** means material made of substances which are safe and suitable for their intended use which shall not endanger human health and change in the composition of the food or organoleptic characteristics.
- c) **“multilayer food packaging”** means a food packaging material or article composed of two or more layers of different types of permitted packaging materials.
- d) **“overall migration limit”** means the maximum permitted amount of non-volatile substances released from a material or article into food simulants.
- e) **“package or container”** means a pre-packaged box, bottle, casket, tin, barrel, case, pouch, receptacle, sack, bag, wrapper or such other things in which an article of food is packed.

- f) **“packaging material”** means materials such as cardboard, paper, glass, metal, plastic film, multi-layer packaging material, packaging media (liquid or gases), etc. used for the manufacture of food containers or for packaging of food products.
- g) **“primary food packaging”** means packaging material in direct contact with food products.
- h) **“secondary food packaging”** means packaging material which encloses the primary food packaging and does not come in direct contact with food products.
- i) **“specific migration limit”** means the maximum permitted amount of a given substance released from a material or article into food or food simulants.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. General Requirements.-

- (1) Every food business operator shall ensure that the packaging material used shall be in accordance with these regulations.
- (2) Any material used for packaging, preparation, storing, wrapping, transportation and sale or service of food shall be of food grade quality.
- (3) Packaging materials shall be suitable for the type of product, the conditions provided for storage and the equipment for filling, sealing and packaging of food as well as transportation conditions.
- (4) Packaging materials shall be able to withstand mechanical, chemical or thermal stresses encountered during normal transportation. In case of flexible or semi-rigid containers, an overwrap packaging may be necessary.
- (5) Food products shall be packed in clean, hygienic and tamperproof bottles/containers.
- (6) The sealing material shall be compatible with the product and the containers as well as the closure systems used for the containers.
- (7) Tin containers once used, shall not be re-used for packaging of food. Provided where reusable packaging material is used these shall be suitably durable, easy to clean or disinfect.
- (8) Printing inks for use on food packages shall conform to IS: 15495.
- (9) Printed surface of packaging material shall not come into direct contact with food products.
- (10) Newspaper or any such material shall not be used for storing and wrapping of food.
- (11) In case of multilayer packaging the layer which comes in contact with food or layers likely to come in contact with food shall meet the requirements of packaging materials specified in Schedule I, II and III of these regulations.
- (12) The materials listed in Schedule I, II and III of these regulations shall be compatible with their intended use as a packaging material so as not to alter the quality and safety of the food product.
- (13) Every food business operator shall obtain the certificate of conformity issued by NABL accredited laboratory against these regulations for the packaging material to be used.

4. Specific Requirements.-

4.1. Paper and board materials intended to come in contact with food products

- (1) Paper and board material shall be of uniform formation, thickness and substance.

- (2) It shall be free from visible specks, grease marks, cuts, pinholes and other blemishes.
- (3) The paper used for the manufacture of boxes, cartons, plates, cups and paper lids or paper which are meant to be direct in contact with food shall be of food grade and shall be free from contaminants.
- (4) Paper and board materials used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in **Schedule – I**.

4.2. Glass containers intended to come in contact with food products

- (1) They shall be free from blisters, mould marks, stones and chippings and as far as possible shall be free from cords, seeds and other visible defects.
- (2) They shall have a smooth surface without cracks, pinholes and sharp edges.
- (3) The sealing surface shall be free from hairline cracks and prominent seam marks.

4.3. Metal and Metal Alloys intended to come in contact with food products

- (1) A utensil or container made of the following materials or metals, when used in the preparation, packaging and storing of food shall be deemed to render it unfit for human consumption:-
 - i. containers which are rusty;
 - ii. enamelled containers which have become chipped and rusty;
 - iii. copper or brass containers which are not properly tinned.
- (2) Metal and metal alloys used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in **Schedule – II**.

4.4. Plastic materials intended to come in contact with food products

- (1) Plastic materials used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in **Schedule – III**.

Provided that Drinking Water (both Packaged and Mineral Water) shall be packed in colourless, transparent and tamperproof bottles or containers made of polyethylene (PE) conforming to IS: 10146 or polyvinyl chloride (PVC) conforming to IS: 10151 or polyalkylene terephthalate (PET and PBT) conforming to IS: 12252 or polypropylene (PP) conforming to IS: 10910 or food grade polycarbonate conforming to IS: 14971 or polystyrene conforming to IS: 10142 or sterile glass bottles only. The transparency of a container shall not be less than 85 percent in light transmittance.

Provided also that blue tint as specified in Indian Standard IS: 9833 may be allowed in plastic container of five liter and above made of polycarbonate and Polyethylene Terephthalate (PET) used for packaging of mineral water and packaged drinking water. The transparency of such container shall not be less than 85 percent in light transmittance.

- (2) All packaging materials of plastic origin shall pass the prescribed overall migration limit of 60mg/kg or 10mg/dm² when tested as per IS 9845 with no visible colour migration.
- (3) Plastic materials and articles shall not release the substances in quantities exceeding the specific migration limits listed under **Table 1**.
- (4) Pigments or Colorants for use in plastics in contact with food products and drinking water shall conform to IS: 9833.
- (5) Carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for packaging, storing, carrying or dispensing articles of food.

Table 1: Requirement for specific migration limit of contaminants from plastic materials intended to be in contact with articles of food

SI. No.	Contaminant	Maximum Migration Limit (mg/Kg)
1.	Barium	1.0
2.	Cobalt	0.05
3.	Copper	5.0
4.	Iron	48.0
5.	Lithium	0.6
6.	Manganese	0.6
7.	Zinc	25.0

5. A list of suggestive packaging materials which may be used for packaging of food products falling under the specified categories is provided in **Schedule – IV**.

Schedule-I

Paper and board materials intended to come in contact with food products

SI. No	List of Standards
1.	Grease proof paper – IS 6622
2.	Vegetable parchment or Grease proof paper/Aluminium Foil Laminate – IS 7161
3.	Aluminium Foil Laminates for Packaging – IS 8970
4.	General purpose packing/wrapping Paper – IS 6615
5.	Folding Box Board, uncoated – IS 1776
6.	Corrugated Fibre Board Boxes- Specification (Part 1) – IS 2771

Note: The wax used for coating the paper or board shall be paraffin wax conforming to Type I of IS 4654.

Schedule-II

Metal and Metal Alloys intended to come in contact with food products

SI. No	List of Standards
1.	Cold-reduced Electrolytic Tinplate – IS 1993/ISO 11949
2.	Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Sheet and Strip for General Engineering – IS 737
3.	Aluminium and Aluminium Alloy Bare Foil for Food Packaging – IS 15392
4.	Wrought Aluminium and Aluminium Alloys for manufacture of utensils – IS 21
5.	Round Open Top Sanitary Cans for Foods and Drinks – IS 9396 – Part 1

Schedule-III

Plastic Materials intended to come in contact with food products

SI. No.	List of Standards
1.	Specification for Polyethylene for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10146
2.	Specification for Polystyrene for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water –

	IS 10142
3.	Specification for Polyvinyl Chloride (PVC) and its copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10151
4.	Specification for Polypropylene and its copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10910
5.	Specification for Ionomer Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 11434
6.	Specification for Ethylene Acrylic Acid (EAA) copolymers for their safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 11704
7.	Specification for Polyalkylene Terephthalates (PET & PBT) for their safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water - IS 12252
8.	Specification for Nylon 6 Polymer for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 12247
9.	Specification for Ethylene Vinyl Acetate (EVA) copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 13601
10.	Specification for Ethylene Metha Acrylic Acid (EMAA) copolymers and terpolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 13576
11.	Specification for Polycarbonate Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 14971
12.	Specification for Flexible Packaging Materials for packaging of Edible Oils, Ghee and Vanaspati - IS 14636
13.	Specification for Polyalkylene Terephthalates (PET & PBT) for Moulding and Extrusion – IS 13193
14.	Specification for Polyethylene Films and Sheets – IS 2508
15.	Specification for Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Films – IS 14500
16.	Specification for High Density Polyethylene Materials for Moulding and Extrusion – IS 7328
17.	Specification for Melamine-Formaldehyde Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 14999

Schedule-IV

List of suggestive packaging materials

Sl.No.	Product Category	Types of Packaging materials
1.	Milk and milk products	<ul style="list-style-type: none"> • Glass bottle with metal caps. • Rigid Plastic container made of PET with plastic (PP) caps. • Rigid Plastic container made up of High density polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) with Plastic (PP) caps. • Flexible plastic pouch made of polyethylene (PE) based co-extruded multilayered material. • Aseptic and flexible packaging material (Paper board/ Aluminium foil/polyethylene) based multilayered structure. • Tin plate container. • Paper based lined cartons with liner made of aluminium foil based laminated structure. • Plastic based PP cups with Peel-off lid. • Wax coated paper butter wrappers. • Paper & Paper Board based folding carton inside butter wrapped with butter paper.

		<ul style="list-style-type: none"> • Metal Containers with plastic (PP) caps/metal or plastic lid. • Plastic pet container with plastic lid. • Thermoform cup/tray with peel-off lids. • Paper & Paper Board setup boxes with or without lamination – plastic film inside. • Paper & Paper Board setup boxes with or without grease proof paper placed inside. • Plastic Based multi layered flexible laminated heat sealed pouch. • Mud/clay pots.
2.	Fats, oils and fat emulsions	<ul style="list-style-type: none"> • Tin plate container. • Glass bottle with metal caps. • Plastic rigid container (jar) made of HDPE. • Plastic bottle/Jar (PET) with plastic caps. • Plastic Pouch made of Multi layered laminated structure. • Aseptic and flexible packaging material (Paper board/ Aluminium foil/polyethylene) based multilayered structure. • Plastic laminated pouch in duplex board box (Bag in Box). • Thermoformed plastic based jar with plastic caps. • Paper based lined cartons with liner made of aluminium foil based laminated structure.
3.	Fruit & Vegetable products	<ul style="list-style-type: none"> • Glass bottle with metal/plastic caps. • Aluminium can with easy open end. • Tinplate container. • Aseptic and flexible packaging material (Paper board/ Aluminium foil/polyethylene) based multilayered structure. • Plastic rigid container (jar) made of either HDPE or Co-extruded structure with Plastic (PP) caps. • Stand Up Pouch made up of Plastic based structure with plastic spout. • Flexible Plastic pouch made of either PE or Laminated structure. • Thermoformed Plastic container (blister Pack) with aluminium foil / PE based lid. • Plastic jar (Co-extruded) with metal caps. • Plastic trays with overwrap.
4.	Sweets and Confectionery	<ul style="list-style-type: none"> • Metal container with metal/plastic lid. • Plastic based multilayered laminated Heat sealed pouches. • Composite containers made up of Paper Board/Aluminium foil/plastic base films with plastic / metal lids. • Plastic based rigid containers. • Foil wrap. • Plastic film based twist wraps (PP/PVC/PET). • Thermoformed tray with lid. • Glass bottle with metal/plastic caps. • Plastic cups with film lid.
5.	Cereals and cereal products	<ul style="list-style-type: none"> • Tin container. • Aluminium Foil Based laminated pouch in metal container. • Wrapper made of wax coated paper. • Wrapper made of three layered laminated structure. • Plastic based multilayered laminated pouch (heat sealed). • Plastic based thermoform container with plastic lid. • Lined carton with liner made of multi layered laminated structure. • Plastic based multilayered laminated structured Zipper pouch. • Thermoform trays with plastic lids/over wraps. • Glass bottle with metal caps.
6.	Meat and Meat Products	<ul style="list-style-type: none"> • Glass jars with plastic caps. • Metal Containers with metal lid (lacquered tin containers).

		<ul style="list-style-type: none"> • Plastic based flexible pouches in paper & paper Board carton. • Plastic based multilayered flexible laminates heat sealed pouches. • Plastic tray with overwrap. • Aluminium foil wrap.
7.	Fish and fish products	<ul style="list-style-type: none"> • Glass jars with plastic caps. • Metal Containers with metal lid (lacquered tin containers). • PET punnets/containers with plastic caps. • Plastic based multilayered flexible laminates heat sealed pouches. • Plastic tray with overwrap.
8.	Sweetening agents including Honey	<ul style="list-style-type: none"> • Glass bottle with Metal Caps. • Plastic based Thermoformed container. • Blister Pack with foil/polyethylene lid. • Polyethylene Terephthalate (PET) container with Plastic Caps. • Plastic laminated Tube.
9.	Salt, spices, Condiments and related products	<ul style="list-style-type: none"> • Glass bottle with metal lid. • Glass bottle with plastic cap (PP Cap). • Plastic based rigid container with Plastic cap (PET & HDPE Containers). • Paper & Paper board /Aluminium foil/Plastic Film based Composite Container. • Folding cartons with Plastic based flexible laminated structure (heat sealed) pouch placed inside. • Plastic based multilayered layered laminated pouch (heat sealed).
10.	Beverages (other than Dairy and Fruits & vegetables based)	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic bottles made of either PET or Polycarbonate (PC) with Plastic (Polypropylene -PP) caps. • Heat sealed Plastic pouches made of Polyethylene (PE). • Glass bottles with metal caps/plastic caps. • Plastic pouches made up of Polyethylene (PE) in Corrugated fibre board Boxes. • Aluminium can with easy open end. • Tin plate container. • Plastic pouch made of laminated structure. • Aseptic and flexible packaging material (Paper board/ Aluminium foil/polyethylene) based multilayered structure. • Plastic based multi layered structure heat sealed pouches. • Plastic based multi layered structure heat sealed Zipper pouches / stand up pouches. • Metal Container with metal / plastic lids. • Rigid Plastic container with plastic caps (PP Caps). • Wooden cask (for wines).

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./482/17]